Court
sfr
22/6/2022

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) जायल जिला – नागौर

क्रमांक : भू.अ./प्राथमिक डिकी/2022/4059 दिनांक : 22-6-2022

सेवा में :– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
जायल।

विषय :– विभाजन प्रस्ताव भेजने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत सादर निवेदन है कि आपके न्यायालय से जारी प्राथमिक डिक्री राजस्व वाद संख्या 02/2021 का विभाजन प्रस्ताव तैयार होकर इस कार्यालय में जमा हुआ। अतः इस पत्र के संलग्न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में श्रीमान जी की सेवा में सादर प्रेषित है।

संलग्न विभाजन प्रस्ताव दो प्रतियों में ।

तहसीलदार (भू.अ.) जायल
तहसीलदार (भू.अ.)
जायल

मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं रामधन विश्नोई (नाम) तहसीलदार जायल, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जायल के आदेश कमांक /कोर्ट/रीडर/2022/32 दिनांक 4.2.2022 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक 13.6.2022 समय 02 P.M. बजे आराजी खसरा नम्बर- 1172 वाके ग्राम खाटूकलां पटवार हल्का खाटूकलां पर श्री लिछमाराम नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जायल में विचाराधीन प्रकरण संख्या- 82/2021 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक SPL 01 दिनांक 03-06-2022 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी	
1.	मांगीलाल	पुत्र अन्नाराम	42	मेघवाल	वादी	मांगीलाल

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

		ख०न०	रकबा	दिशा
1.	वादी मांगीलाल पुत्र अन्नाराम जाति मेघवाल निवासी डाबोली मीठी तहसील -डेगाना	1172	0.0890	उत्तरी-पूर्वी दिशा
2.	समस्त प्रतिवादीगण :-	1172	3.2427	शेष सम्पूर्ण हिस्सा

इन्द्रादेवी पत्नी मदनलाल हि० 15/424 कालूराम पुत्र मदनलाल हि० 15/424 गुलाब पुत्र हड़मान हि० 27/212 दुलाराम पुत्र राधाकिशन हि० 27/212 देवाराम पुत्र हड़मान हि० 49/424 धनराज पुत्र मदनलाल हि० 15/424 पन्नालाल पुत्र राधाकिशन हि० 27/212 पेमली पत्नी हड़मान हि० 27/212 हीरालाल पुत्र हड़मान हि० 27/212 जातिघान मेघवाल निवासी डाबोली मीठी तह. डेगाना चन्दीदेवी पत्नी राधाकिशन हि० 27/212 जाति बावरी निवासी खाटूकलां मेघराज पुत्र लिछमण राम हि० 3/212 जाति बावरी निवासी डाबोली मीठी तह. डेगाना खातेदार/

रामधन विश्नोई
तहसीलदार जायल

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	मांगीलाल	पुत्र अन्नाराम	मेघवाल	मांगीलाल	वादी

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.

NIL

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ . मोबाईल नं..
1.	जेठाराम	पुत्र श्रीराम	36	जाट	9829413113 निवासी डाबोली मीठी
2.	जगदीश	पुत्र पन्नाराम	35	जाट	9001952521

इस प्रकार आज दिनांक 13/06/2022 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

13-06-2022

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
पटवारी	भू. अ. निरीक्षक	ना. तह.	तहसीलदार
तह.	वृत........	....	....जायल..

ओमप्रकाश पटवारी (भू.अ.) पटवार मंडल ... तहसील जायल

(शिवनारायण) भू. अ. निरीक्षक भू.अ. वृत्त ... तहसील जायल (नागौर)

तहसीलदार (भू.अ.) जायल

राजस्व वाद 82 / 2021
जीसीएमएस नंबर– 2021 / 143
मांगीलाल बनाम् कालूराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल, जिला नागौर

पीठासीन अधिकारी :– रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 82 / 2021

वादीगण–

1. मांगीलाल पुत्र अनाराम जाति मेघवाल निवासी डावोली मीठी तहसील–डेगाना।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. कालूराम पुत्र मदनलाल
2. धनराज पुत्र मदनलाल
3. इन्दा देवी पत्नी मदनलाल
4. गुलाब पुत्र हड़मान
5. देवाराम पुत्र हड़मान
6. हीरालाल पुत्र हड़मान
7. पेमली पत्नी हड़मान
8. दुलाराम पुत्र राधाकिशन
9. पन्नालाल पुत्र राधाकिशन जातियान मेघवाल निवासीगण डावोली मीठी।
10. मेघराज पुत्र लिछमणराम जाति बावरी निवासी डावोली मीठी तहसील डेगाना।
11. चन्दी देवी पत्नी राधाकिशन जाति बावरी निवासी खाटूकलां तहसील–जायल।
12. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :** 11/7/2022

वादपत्र का संक्षिप्त विवरण एवं तथ्य इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जरिये अधिवक्ता पेश किया। वादी ने निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के संयुक्त खातेदारी की भूमि भूमि मौजा खाटूकलां तहसील जायल में खेत खसरा नं. 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर रहती चली आई है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ने आपसी पारिवारिक जुबानी बंटवाड़ा वर्षो पूर्व वाद पत्र के पैरा संख्या 2 के (क से ख) अनुसार कर लिया है उसी अनुसार कब्जा काश्त है। जिसका वंट बंटवाड़ा स्कीम निम्न प्रकार से है। वादी संख्या 1 मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नंबर 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर में से 11/424 हिस्सा रकबा 0.0890 हैक्टेयर माफिक कब्जा अनुसार नजरीनक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के हक बंट कब्जा काश्त में खेत खसरा नंबर 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर में से शेष रकबा यथावत् रखा गया है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के बीच आपसी बंटवाड़ा हो जाने से माफिक बंट अनुसार अलग–अलग सींव–नींव कायम हो जाने के बावजूद बंटवाड़ा अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं होने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाने के कारण वाद पत्र प्रस्तुत किया है जिसे माफिक नजरी

11/7/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

नक्शा वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार जायल को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को जरिये समन ऐडी रजिस्ट्री तथा समाचार पत्र दैनिक भास्कर दिनांक 04.08.2021 में सम्मन प्रकाशित कर तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के पर्याप्त तामिल होने के बावजूद भी न्यायलय से गैर हाजिर रहे बार–बार आवाजें लगाई गई ना ही प्रतिवादी संख्या 1 से 11 ना ही उनकी तरफ से पक्षकार अधिवक्ता उपस्थित हुए इसलिये न्यायालय से गैर हाजिर रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 04.08.2021 के सम्मन प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 12 का सम्मन स्वयं से तामिल होकर प्राप्त है , जो कि वाद पत्र में केवल परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार केवल परफोर्मा पक्षकार पेश होने के कारण प्रकरण में विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात्) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

वाद पत्र में दस्तावेजी साक्ष्य के सबूत के तौर पर शपथ पत्र मांगीलाल पुत्र अनाराम के पेश हुवे तथा नकल जमाबन्दी ग्राम खाटूकलां तहसील–जायल सम्वत् 2073–2076 खाता संख्या 210 प्रदर्श–1 पेश हुवे। अधिवक्ता वादीगण द्वारा ओर साक्ष्य पेश नही करने के निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। इसलिए प्रतिवादी साक्ष्य नहीं करवाने के निवेदन पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद की जाकर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

उभय पक्षकारान एवं अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। वादी पक्ष के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वाद पत्र को माफीक वाद में वर्णित पैराज माफिक एवं नजरीनक्शानुसार अनुसार स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण सं. 1 से 11 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने तथा मुतदाविया खेताय की भूमि पुश्तैनी है तथा पक्षकारान् का कब्जा काश्त अनुसार भी पेश किया है। अतः वाद पत्र में वर्णित खेताय का प्रस्तुत इस्तदुआ अनुसार स्वीकार किया जावे तथा तहसीलदार जायल को माफिक बंटवाड़ा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी की जाने का निवेदन अधिवक्ता उभय पक्षकारान् ने किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। वादी के वादपत्र, जमाबन्दी, शपथ पत्रादि व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही पर मनन किया गया। प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकोर केवल परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। बंटवाडे के वादपत्र में जमाबंदी के अनुसार समस्त खातेदारान पक्षकार के रूप में संयोजित किये जाने अपेक्षित होते है, जो कि किये गये हैं। प्रत्येक खातेदार काश्तकार का वादग्रस्त खेतायों की भूमि में पृथक–पृथक हिस्सा कब्जा काश्त अनुसार अंकित है जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण अपने–अपने हिस्से व बंट अनुसार अलग–अलग खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है साथ ही वादपत्र में प्रस्तुत इस्तदुआ वादीगण ने माफिक काबिज काश्त होना स्वीकार किया है व वाद पत्र को डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है।

हमारी राय में मौजा खाटूकलां के वादग्रस्त खेतायों में सहखातेदार के रूप में संयोजित खातेदार अपने–अपने हिस्से का नियमानुसार सहखातेदारी करवा सकते है, चूंकि

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

वादग्रस्त खेतायों मे मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नं. 1172 रकबा 3.4317 की भूमि में से रकबा 0.0890 हैक्टेयर (11/424 हिस्सा) भूमि की वादी के नाम खातेदारी में तथा शेष मुतदाविया वादग्रस्त खेत खसरा नंबर 1172 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 से 11 का यथावत हक बंट रखे जाने की इस्तदुआ चाही गई है। वादी द्वारा पक्षकारान् के मध्य हिस्से विशेष की भूमि का बंटवाडा चाहा गया है जो कि पूर्ण रूपेन से विभाजेन नहीं है अतः मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नंबर 1172 की भूमि पूर्ण रूप से विभाजेन नहीं होने तथा पक्षकारान् के द्वारा हिस्से विशेष की भूमि बंटवारा चाहा जाने से हम वादी का वाद आंशिक स्वीकार कर दिनांक 11.01.2022 को प्राथमिक डिक्री के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 11.01.2022 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4059 दिनांक 22.6.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिकी प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादी मांगीलाल ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है तथा अन्य कोई प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुवे। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव पढकर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान जेठाराम एवं जगदीश तथा भू.अभि.निरीक्षक खाटूकलां की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नं. 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नं. 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

1. वादी मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नंबर 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खाता यथावत प्रतिवादीगण बदस्तुर रखा जाता है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को रेकर्ड अद्यतन हेतु सूचित हो।(रहन होने की स्थिति में)

निर्णय आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
जायल

सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व वाद 82 / 2021
जीसीएमएस नंबर– 2021 / 143
मांगीलाल बनाम् कालूराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः 82 / 2021

वादीगण–

1. मांगीलाल पुत्र अनाराम जाति मेघवाल निवासी डावोली मीठी तहसील–डेगाना।

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. कालूराम पुत्र मदनलाल
2. धनराज पुत्र मदनलाल
3. इन्दा देवी पत्नी मदनलाल
4. गुलाब पुत्र हड़मान
5. देवाराम पुत्र हड़मान
6. हीरालाल पुत्र हड़मान
7. पेमली पत्नी हड़मान
8. दुलाराम पुत्र राधाकिशन
9. पन्नालाल पुत्र राधाकिशन जातियान मेघवाल निवासीगण डावोली मीठी।
10. मेघराज पुत्र लिछमणराम जाति बावरी निवासी डावोली मीठी तहसील डेगाना।
11. चन्दी देवी पत्नी राधाकिशन जाति बावरी निवासी खाटूकलां तहसील–जायल।
12. तहसीलदार जायल जरिये सरकार।

उपस्थिति :–

1. श्री गोविन्दराम ढाका अधिवक्ता वादी की ओर से
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 11 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही।
3. प्रतिवादी संख्या 12 राजपैरोकार उपस्थित।

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता दशरथसिंह राठौड़ व प्रतिवादी संख्या 2 पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाकर –यत् वादी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 88,53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नं. 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर की भूमि का विभाजन पक्षकारान् / सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

1. वादी मांगीलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खाटूकलां के खेत खसरा नंबर 1172 रकबा 3.4317 हैक्टेयर में से 0.0890 हैक्टेयर उतरी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. शेष खाता यथावत प्रतिवादीगण बदस्तूर रखा जाता है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।

11/2/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को रेकर्ड अद्यतन हेतु सूचित हो।(रहन होने की स्थिति में)।

निर्णय आज दिनांक 11/7/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

11/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 11/7/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

11/7/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)